केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
जोधपुर (राजस्थान) 342 003
फोन : 0291- 2787152

फाईल नं0 9(3)2013-2014/प्रषासन चतुर्थ/ दिनांक : 15.01.2014

भेड़ एवं बकरियों की खुली बोली द्वारा नीलामी सूचना

केन्द्रीय षुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में 77 की संख्या में वयस्क एवं अवयस्क भेड़ एवं बकरियॉं जिनमें भेड़ें (24) तथा बकरियॉं (53) हैं इन पषुओं की खुली बोली द्वारा नीलामी संस्थान के प्रांगण में दिनांक 27.01.2014 को प्रात : 11.00 बजे की जाएगी । इच्छुक संस्था/पार्टी /व्यक्ति निश्चित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते **इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है ।** अथवा सहायक प्रषासकीय अधिकारी (भण्डार गृह) से भी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी(भण्डार)
वास्ते निदेशक

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
जोधपुर (राजस्थान) 342 003
फोन : 0291- 2787152

फाइल संख्या 9(3)2013-2014/प्रषासन चतुर्थ दिनांक :15.01.2014

दिनांक 27.01.2014 को भेड़ एवं बकरियों की खुली बोली द्वारा नीलामी में नीलामी योग्य वयस्क एवं अवयस्क भेड़ एवं बकरियॉ संबंधित विवरण एवं निर्देषित नियम व शर्तें

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	वयस्क एवं अवयस्क भेड़ एवं बकरियॉ की संख्या
1.	वयस्क एवं अवयस्क भेड़ एवं बकरियॉ भेड़ें (24) तथा बकरियॉ (53)	77

खुली बोली द्वारा नीलामी हेतु नियम व शर्तें :–

1. उपरोक्त पशुओं की नीलामी इस संस्थान के केन्द्रीय अनुसन्धान फार्म परीसर में दिनांक 27.01.2014 को प्रात : 11.00 बजे इस संस्थान द्वारा गठित की गई समिति के द्वारा की जाएगी ।
2. नीलामी के समय कम से कम तीन इच्छुक बोलीदाताओं का होना आवश्यक है अन्यथा नीलामी किसी दूसरी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी ।
3. प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को रूपये 5000/-बिड सिक्युरिटी (EMD) बतौर जमानत पेशगी जमा कराने होंगे इसके उपरान्त ही वह नीलामी में भाग ले सकेंगे । नीलामी पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम स्वीकृत बोलीदाता की बिड सिक्युरिटी के अतिरिक्त अन्य सभी बोली दाताओं को वापस कर दी जाएगी ।
4. अधिकतम स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी के तुरन्त पश्चात् नीलाम किये गयें पशुओं की स्वीकत की गई अधिकतम बोली के अनुसार सम्पूर्ण राशि इस संस्थान के रोकड़िये को नकद में जमा करानी होगी। यदि अधिकतम स्वीकृत बोलीदाता सम्पूर्ण राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई बिड सिक्युरिटी /धन राशि भी सरकार जब्त कर लेगी और पशु पुनः नीलाम कर दिये जाएंगे जिसमें उसको भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
5. नीलामी से पूर्व इच्छुक व्यक्ति/पार्टी पशुओं की भॅली भॉति जॉच कर सकते है एवं इनकी जानकारी ले सकते हैं । जिसकी उन्हें पूर्ण सुविधा दी जाएगी । नीलामी के पश्चात पशुओं के संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
6. नीलामी समिति/निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए अंतिम बोली अस्वीकृत या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
7. अधिकतम स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी की अन्तिम स्वीकृति इस संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा मिलने पर नीलामी के अनुसार पूरी धन राशि इस संस्थान में जमा कराने के पश्चात ही नीलाम किये गये पशुओं को उठाने का/इन्हे संस्थान से ले जाने का अधिकार दिया जाएगा । नीलामी पक्ष में होने के पश्चात पशुओं का उठान अधिकतम स्वीकृत बोलीदाता को दिये गये निश्चित समय में पूर्ण करना होगा। नीलामी के नियम व शर्तो का उल्लंघन होने पर पशु पुनः नीलाम कर दिये जाऐंगे और इस संबंध में उसको कोई अधिकार मान्य नहीं होगा ।
8. वह व्यक्ति/ठेकेदार /पार्टी जिसके जिम्में राजकीय वित्त की अदायगी होगी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. नीलामी समिति नीलामी सूचना एवं इसके नियम व शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तो को भी बिना कोई कारण बताए शामिल कर सकती है। नीलामी के पूर्व इसकी सूचना दे दी जाएगी।

कृ.पृ.उ.

10. इच्छुक व्यक्ति/पार्टी को बिड सिक्युरिटी (EMD) जमा कराने के पश्चात एवं बोली लगाने से पूर्व इस नीलामी के नियम व शर्तो की एक प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने होगे । जो इस बात का सूचक होगी कि उसको नीलामी के नियम व शर्ते शर्तें मान्य है। हस्ताक्षर लेने से पूर्व नीलामी की शर्तें उपस्थित बोलीदाताओं को पढकर सुना दी जाएगी ।

11. नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने और पूर्ण धन राशि जमा होने के पश्चात नीलामी के पशुओं अथवा किसी नियम व शर्त के संबंध में अनभिज्ञता की कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी ।

12. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/वेट अथवा अन्य कोई कर (if applicable) स्वीकृत अधिकतम बोलीदाता को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।

13. नीलाम किये जाने वाले पशुओं की न्यूनतम सरकारी बोली इस संस्थान की समिति द्वारा तय की जाएगी । जो नीलामी से पूर्व सूचित की जाएगी ।

14. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/पार्टी/ठेकेदार को अपनी पहचान का आई डी प्रूफ, पेन संख्या, मोबाइल नम्बर एवं पूर्ण एड्रेस देना होगा । पेन संख्या अवष्य लिखें एवं पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा नीलामी में भाग लेना मान्य नहीं होगा ।

15. नीलामी स्थल पर कानून एवं व्यवस्था का पालन करना होगा ।

टिप्पणी : पशु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसी स्थान से उठाकर ले जाना होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी(भण्डार)
वास्ते निदेशक